



2026:AHC:49943-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 41066 / 2023

अजय कुमार

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नीरज शुक्ला

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुरेश कुमार मौर्य

ए.एफ.आर

न्यायालय संख्या- 1

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री नीरज शुक्ला, प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्य और राज्य प्रतिवादियों के लिए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. शाही की बातें सुनीं।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने फ़िरोज़ाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा 4 सितंबर, 2023 को पारित उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत कोविड-19 से अपनी पत्नी की मौत के लिए याचिकाकर्ता के अनुग्रह राशि के दावे को खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के 'अनुग्रह' मुआवज़े के दावे को खारिज करने में साफ तौर पर गलती की है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में सरकारी आदेश की गलत व्याख्या की गई, जिसके आधार पर यह माना गया कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता की पत्नी की मौत कोविड-19 से नहीं हुई थी। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता की पत्नी एक बेसिक स्कूल में असिस्टेंट टीचर थीं और उन्हें 7 अप्रैल, 2021 को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई थी। ड्यूटी पर जाते समय उन्हें कोविड-19 हो गया। बाद में, जब उनकी हालत बिगड़ी, तो उन्हें 27 अप्रैल, 2021 को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उसी दिन उनकी असामयिक मृत्यु हो गई।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की पत्नी की चेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद थी और उसमें कोई ऐसी असामान्यता नहीं दिखी जिसे मौत का कारण माना जा सके। इसलिए, चूंकि उन दिनों कोविड-19 महामारी फैली हुई थी, इसलिए इसे कोविड-19 से हुई मौत ही माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 1 जून, 2021 के सरकारी आदेश को देखते हुए, पॉज़िटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या एंटीजन रिपोर्ट का होना ज़रूरी नहीं था। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, अगर संक्रमण के 30 दिनों के भीतर मौत होती है या मरीज़ को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो ऐसी मौत को कोविड से हुई मौत माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों को 1 जून, 2021 के सरकारी आदेश के तहत कोविड मरीज़ की परिभाषा के दायरे में माना जाना चाहिए।

5. अपनी दलील को मज़बूत करने के लिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान सरकारी आदेश के क्लॉज़ 9, 10 और 12 में दिए गए संबंधित प्रावधानों की ओर दिलाया है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो फैसलों का भी हवाला दिया है: एक फैसला **कुसुम लता यादव बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य** (रिट - सी संख्या - 28249/2021 और उससे जुड़े मामलों) में 25 जुलाई 2022 को आया था, और दूसरा फैसला **साधना साहू बनाम भारत संघ और 5 अन्य** (रिट - सी संख्या- 20071/ 2024) में 23 जुलाई 2024 को आया था। **कुसुम लता यादव** वाले मामले के फैसले के संबंध में, याचिकाकर्ता ने फैसले के पैराग्राफ 17 पर भरोसा किया है, जो नीचे दिया गया है:

"17. पैरा-12 में बताए गए तीन पैमानों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह नोट करेगा कि चुनाव ड्यूटी के 30 दिन बाद कोविड पॉज़िटिव पाए गए किसी भी मामले को निश्चित रूप से इस योजना के दायरे में नहीं रखा गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, चुनाव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इयूटी के 30 दिनों के भीतर बिना लक्षण वाले मामलों में मौत होने पर उसे सरकारी आदेश के तहत कवर किया जाता है, बशर्ते दावेदारों द्वारा कोविड-19 के कारण मौत का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया जाए। यह सिद्धांत उन मामलों के लिए सरकारी आदेश के दायरे को बढ़ाता है जिनमें लक्षण वाले मरीजों में चुनाव इयूटी के बाद 30 दिनों के भीतर संक्रमण का पता चला, लेकिन मौत 30 दिन की अवधि के बाद हुई। जिन दो स्थितियों को एक समान माना जाना चाहिए, वे हैं: पहली, जहां बिना लक्षण वाले मामले में चुनाव इयूटी में शामिल होने के 30 दिनों के भीतर कोविड-19 के कारण मौत हुई; और दूसरी, जहां चुनाव इयूटी के 30 दिनों के भीतर कोविड-19 संक्रमण का पता चला, लेकिन मौत उसके बाद इलाज के दौरान या किसी अन्य कारण से हुई।" (जोर दिया गया)

7. साधना साहू (ऊपर उल्लिखित) मामले में आए फैसले के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फैसले के पैरा 4, 6 और 7 पर भरोसा जताया है, जिन्हें नीचे दिया गया है:

4. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को तकनीकी नज़रिए से नहीं, बल्कि समय नज़रिए से देखा जाना चाहिए। 28.03.2020 के आदेश का संबंधित हिस्सा नीचे दिया गया है:-

"i. इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर समेत कुल लगभग 22.12 लाख पब्लिक हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के लिए 90 दिनों का 50 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट कवर शामिल होगा। ये वे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में आना पड़ सकता है और उनकी देखभाल करनी पड़ सकती है, जिससे उन्हें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसमें कोविड-19 के कारण दुर्घटना से होने वाली मौत भी शामिल होगी।"

6. 'संगीता वाही बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य' (2023 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 6808) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जा सकता है। उस फैसले का मुख्य आधार नीचे दिया गया है:-

"8. मार्च, 2020 में देश में कोविड-19 महामारी आई। इस महामारी में लाखों लोगों की जान चली गई। पुलिस अधिकारी, हेल्थकेयर वर्कर, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, वगैरह महामारी का डटकर सामना कर रहे थे और जान लेने वाले वायरस का शिकार हुए लोगों की मदद करने के लिए अपनी इयूटी पर थे। देश के हेल्थकेयर सिस्टम और इस बड़े पैमाने पर फैलने से निपटने की उसकी क्षमता को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अलग-अलग अस्पतालों में सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल है, दिन-रात काम कर रहे थे ताकि मरीजों की जल्द से जल्द स्क्रीनिंग हो सके और उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके ताकि वायरस न फैले। जिन लोगों को किसी भी तरह का बुखार था, वे घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, वे अस्पतालों की ओर भाग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं और किससे मिलें। लोग अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए ओपीडी और अस्पताल में भीड़ लगा रहे थे। इस समय, ये सिक्योरिटी गार्ड, पैरामेडिकल स्टाफ ही थे, जिन्होंने न केवल अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि गाइड का भी काम किया। मरीजों को सही सेंटर पर जाने के लिए कहकर। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अलग-अलग जगहों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड सीधे कोविड-19 मरीजों के संपर्क में नहीं थे। यह सब जानते हैं कि कोविड-19 वायरस हवा से फैलता है और हॉस्पिटल आने वाला कोई भी मरीज वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता था, चाहे उसमें लक्षण हों या नहीं। मरीज कई सर्विस प्रोवाइडर के संपर्क में आए, चाहे वे सिक्योरिटी गार्ड हों, नर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, जो कोविड-19 वार्ड में तैनात हो भी सकते थे और नहीं भी। इसलिए, केंद्र सरकार इतना छोटा नज़रिया नहीं अपना सकती कि सिर्फ़ वही लोग "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर के लिए इंश्योरेंस योजना" के तहत कवर होंगे जो सिर्फ़ कोविड-19 वार्ड या सेंटर में तैनात थे। यह योजना असल में उन लोगों के परिवार वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाई गई थी जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हजारों लोगों की रक्षा करते हुए ड्यूटी पर शहीद हो गए। ऐसा छोटा नज़रिया रखना असल में योजना की भावना के खिलाफ़ है जिसका मकसद उन लोगों को तुरंत राहत देना था जो इस स्थिति से निपट रहे थे। और हजारों मरीजों की जान बचा रहे थे। यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि कोविड-19 के हल्के लक्षण होने पर भी कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट करवा रहा था। गरीब लोग जो निजी जांच केंद्रों का खर्च नहीं उठा सकते थे, वे सरकारी अस्पतालों की ओर भाग रहे थे। एक सामान्य व्यक्ति को कभी पता नहीं चलेगा कि एक विशेष कोविड-19 वार्ड है और उसकी सामान्य प्रतिक्रिया या तो ओपीडी डेस्क या अस्पताल के कैजुअल्टी के पास डॉक्टर से मिलने की होगी। उस समय, कतार को सुव्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा गार्डों की सेवाएं ली गईं। सुरक्षा गार्ड लोगों को उन विभागों में भी निर्देशित कर रहे थे जहां मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए संपर्क करना पड़ता है। इसलिए, यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं कहा जा सकता है कि यहां याचिकाकर्ता के दिवंगत पति, जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जो उन्हें अस्पताल में हुआ होगा, कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में नहीं थे।

9. यह योजना एक सामाजिक कल्याण योजना के तौर पर शुरू की गई है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन को न तो कठोर और संकीर्ण दायरे में बांधा जाना चाहिए और न ही इनके स्वरूप को बहुत छोटा या सीमित किया जाना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं का मतलब जरूर बड़ा होना चाहिए। जहाँ योजना राहत देने के लिए बनाई गई है, वहाँ न्यायालय को व्युत्पत्ति से जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए [देखें: वर्कमेन बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, (1985) 4 एससीसी 71]।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने रेगुलर प्रोविडेंट फंड कमिशनर बनाम हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड, (2012) 2 एससीसी 489, में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"24. अगर हम आज के कानूनी ट्रेंड को देखें, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनका मकसद समाज सुधार लाना है, ताकि कुछ खास तरह के लोगों की हालत सुधारी जा सके, जिनके साथ पहले शायद सही बर्ताव नहीं हुआ हो। इन कानूनों को आम तौर पर सुधार वाले कानून या समाज कल्याण कानून कहा जाता है, जबकि कभी-कभी सज़ा वाले कानून भी बनाए जाते हैं, जिनमें कानून न मानने वालों को जेल, जुर्माना, ज़ब्त करने या दूसरी सज़ा का प्रावधान होता है।

25. आम तौर पर यह माना जाता है कि सुधार वाले कानून का मतलब आसानी से समझा जाता है, जबकि सज़ा वाले कानून का मतलब सख्ती से समझा जाता है। सुधार वाले कानूनों के मामलों में, अगर कोई शक होता है, तो उसे उस वर्ग के लोगों के पक्ष में हल किया जाता है जिनके फायदे के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन सज़ा वाले कानूनों के मामलों में अगर कोई शक होता है, तो उसे आम तौर पर उस अपराधी के पक्ष में हल किया जाता है जिस पर आरोप है।

26. इसमें कोई शक नहीं कि यह एक्ट संविधान के आर्थिक संदेश को लागू करता है, जैसा कि राज्य की पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह काम के सही और इंसानी हालात पक्के करे, जिसमें गुजारे लायक मज़दूरी और अच्छा जीवन स्तर शामिल है। यह एक्ट साफ तौर पर उन लक्ष्यों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को बढ़ावा देना चाहता है। इसलिए, इस एक्ट का मतलब न सिर्फ़ खुला होना चाहिए, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वैल्यूज़ से भी जुड़ा होना चाहिए। इसलिए, एक्ट के सामाजिक नज़रिए की जानकारी से कानूनी तरीके के मतलब निकालने की प्रक्रिया को गाड़ दिया जाना चाहिए।"

11. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, केंद्र सरकार का छोटा और अडियल रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस योजना" का फ़ायदा पाने का हकदार है।"

7. ऊपर दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि यह मामला 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस योजना' के तहत आता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पति ओ.पी.डी. में वार्ड बॉय थे, जो कोविड सेक्शन के ठीक सामने था। अधिकारियों का यह सोच-समझकर लिया गया नज़रिया बिना सोचे-समझे है, वह भी इस योजना का छोटा मतलब निकाला गया है। ऐसा मतलब इस योजना के उद्देश्य के बिल्कुल खिलाफ होगा।"

(जोर दिया गया)

8. इसके विपरीत, उपरोक्त तर्कों को पूरा करते हुए, राज्य प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. शाही ने उसमें दिए गए कारणों से आदेश का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी के दावे को इस आधार पर खारिज करने के लिए वैध कारण देते हुए एक बहुत ही विस्तृत आदेश पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष कोई भी सामग्री नहीं रख सका जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता की पत्नी महामारी कोविड-19 से पीड़ित थी और कोविड 19 से उसकी मृत्यु हो गई। 1 जून, 2021 के सरकारी आदेश और उन्हीं खंडों 9, 10 और 12 को रखते हुए, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अनुग्रह मुआवजे के लिए वैध दावा स्थापित करने के लिए तीन दस्तावेजों को प्राधिकरण के समक्ष रखना आवश्यक था; सबसे पहले, कोविड-19 के संक्रमण की विशिष्ट तिथि, किसी व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव होने के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट की तिथि और तीसरा, एक प्रमाण पत्र कि मरीज की मौत कोविड 19 पॉजिटिव पाई गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकारी आदेश के खंड 10 में उन परिस्थितियों के बारे में आगे बताया गया है जिनमें यह संभव हो सकता है कि आरटीपीसीआर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट और एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती है और इसलिए, रक्त परीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जहां तक मृत्यु का संबंध है, यदि कारण स्थापित हो जाता है कि यदि कोई मरीज किसी विशेष तिथि को कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया था और बाद में रिपोर्ट आगे सकारात्मक नहीं पाई जाती है, लेकिन मृत्यु पहली संक्रमण परीक्षण रिपोर्ट के 30 दिनों के भीतर होती है, तो ऐसी मृत्यु को कोविड 19 के कारण हुई मृत्यु माना जाना चाहिए और उन मामलों में अनुग्रह मुआवजा दिया जा सकता है।

9. श्री शाही, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं रख पाया है कि उसकी पत्नी को कभी भी कोविड 19 महामारी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी टेस्ट रिपोर्ट, खासकर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कभी पेश नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि छाती की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है और जिसे याचिका के एनेक्सर 8 के ज़रिए रिकॉर्ड में लाया गया है, उसमें रिट याचिका के पेज 48 पर रिपोर्ट के आखिर में साफ तौर पर यह फाइनल राय दर्ज है कि 'बाइलेटरल प्ल्यूरल इफ्यूजन (बाएं>दाएं) के साथ आस-पास पैसिव एटेलेक्टेसिस इन्फेक्टिव एटियोलॉजी का संकेत देते हैं जो कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए सही नहीं है'। इस तरह उनके अनुसार, इस रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता के उस दावे के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह अपनी पत्नी की कोविड 19 से मौत के कारण अनुग्रह-स्वरूप मुआवजे का हकदार था। इस तरह वह कहते हैं कि रिट याचिका में कोई गुणदोष नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

10. संबंधित पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह उठता है कि क्या प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी आदेश के विभिन्न खंडों में निहित प्रावधानों की सही व्याख्या करके याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना उचित था।

11. दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि जिलाधिकारी के सामने जब अनुग्रह मुआवजे का दावा किया गया, तो याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के कोविड 19 इन्फेक्शन के सबूत के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया, जिनकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब, ऐसे हालात में, यह देखना होगा कि क्या ऐसे



दावे पर अभी भी विचार किया जा सकता है क्योंकि मरीज़ की मौत तब हुई जब पूरा राज्य महामारी कोविड 19 से बुरी तरह इन्फेक्टेड था।

12. राज्य सरकार ने 1 जून, 2021 के सरकारी आदेश के ज़रिए अनुग्रह-स्वरूप मुआवज़े के लिए एक पूरी योजना शुरू की है और क्लॉज़ में खास तौर पर उन दस्तावेज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें अनुग्रह-स्वरूप मुआवज़े का क्लेम करते समय प्राधिकारी के सामने रखना ज़रूरी है। उपधारा 9 के मुताबिक, तीन दस्तावेज़ ज़रूरी हैं जैसे कोविड 19 के इन्फेक्शन का ग्रेड, कोविड 19 पॉज़िटिव होने की टेस्ट रिपोर्ट और कोविड 19 से किसी व्यक्ति की मौत की तारीख।

13. हमारे हिसाब से, इस क्लॉज़ 9 को क्लॉज़ 10 और क्लॉज़ 11 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और अगर तीनों क्लॉज़ को एक साथ पढ़ा जाए तो इन नियमों को मिलाकर पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो पक्ष किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए अनुग्रह-स्वरूप मुआवज़े का दावा इस आधार पर करता है कि मरने वाले की मौत कोविड 19 की वजह से हुई है, उसे कोविड इन्फेक्शन का साबित मामला टेस्ट रिपोर्ट या कोविड मृत्यु प्रमाणपत्र से दिखाना चाहिए या अगर ऐसा कोई मृत्यु प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है तो वह तारीख जब मरने वाला कोविड 19 पॉज़िटिव पाया गया था ताकि इसे 30 दिनों के समय से जोड़ा जा सके। अगर मरीज़ को कोविड 19 दिखाने वाली चेस्ट रिपोर्ट मौजूद नहीं है तो कोविड 19 के इन्फेक्शन की तारीख ब्लड टेस्ट या स्वीब टेस्ट रिपोर्ट से दिखाई जानी चाहिए।

14. इसलिए, इन हालात में, अगर कोई मरने वाला कोविड 19 का शिकार हुआ है और कोविड 19 के पहले इन्फेक्शन की तारीख या मरीज़ को कोविड 19 होने की पहली रिपोर्ट के 30 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं हो सकती है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट और एंटीजन नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट से शायद ही कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मृत्यु प्रमाणपत्र यह दिखाने के लिए मौजूद है कि किसी व्यक्ति की मौत कोविड 19 की वजह से हुई है। इस तरह, ऐसे मामले में जहाँ किसी व्यक्ति के पास यह प्रमाणपत्र है कि मरीज़ की मौत कोविड 19 की वजह से हुई है, उसके पास पॉज़िटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं हो सकती है। ऐसे हालात में भी मुआवज़े का ऐसा दावा मंज़ूर किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. अभी जो मामला है, उसमें हमें ऐसा कोई ऊपर लिखा हुआ दस्तावेज नहीं मिला जो यह दिखाता हो कि किसी मरीज़ की मौत कोविड 19 की वजह से हुई या जिस मरीज़ की मौत हुई, वह पहले से ही कोविड 19 महामारी से जूझ रहा था।

16. कुसुम लता यादव (उपरोक्त) के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जिस फैसले पर भरोसा किया है, वह उस मुद्दे से निपट रहा था जब कोविड 19 के लक्षणहीन और लक्षणात्मक मामलों के बारे में लोगों की सामान्य धारणा में बचाव की मांग की गई थी और सवाल यह था कि क्या कोई लक्षणात्मक स्थिति थी जब एक संक्रमित व्यक्ति इयूटी में शामिल होने के 30 दिनों के भीतर संक्रमण के संपर्क में आया, लेकिन ऐसे संक्रमण के 30 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

17. प्रश्न पैराग्राफ 12 में निर्धारित मापदंडों के संबंध में भी था और न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या चुनाव इयूटी से 30 दिनों की अवधि के बाद कोविड 19 पॉजिटिव के रूप में पाया गया मामला उस श्रेणी में आएगा, जो योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

18. हमारी राय में, ऊपर दिए गए मामले में कोविड 19 के मामलों के साबित होने या न होने का मुद्दा नहीं उठा। जिस पैराग्राफ 17 पर भरोसा किया गया है, वह उन मामलों के बारे में है जहाँ कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति का पता चला था और उसकी 30 दिनों के अंदर मौत हो गई थी और न्यायालय ने माना कि दो स्थितियों को एक जैसा रखा जाना चाहिए, जहाँ मौत कोविड 19 के कारण चुनाव इयूटी में शामिल होने के 30 दिनों के अंदर हुई थी और जिसमें लक्षण दिखे थे, और दूसरी जहाँ चुनाव इयूटी के 30 दिनों के अंदर कोविड 19 का संक्रमण पता चला था।

19. इस तरह, न्यायालय उन मामलों पर विचार कर रहा था जहाँ मरने वाला व्यक्ति असल में कोविड 19 से संक्रमित मरीज़ पाया गया था। इसलिए, असल में यह मामला अलग है।

20. जहां तक **साधना साहू** (उपरोक्त) के मामले की बात है, तो मुद्दा यह था कि क्या उस मरीज़ का मामला कवर होगा जहां कोविड 19 पीड़ित की मौत इंफेक्शन की वजह से हुई हो, हालांकि उसे खास तौर पर कोविड वार्ड में तैनात नहीं किया गया था। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि गार्ड, नर्स और पैरामेडिकल



स्टाफ जो कोविड वार्ड में तैनात हो भी सकते थे और नहीं भी, लेकिन अगर वे वायरस से इंफेक्टेड हो गए और कोविड से उनकी मौत हो गई, तो वे भी योजना के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। यह भी एक साबित कोविड मौत का मामला था।

21. हम साफ हैं कि इस मामले में दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि यह मौत कोविड 19 से हुई थी। इसलिए, जिन वाद पर भरोसा किया गया है, वे याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करते हैं।

22. दावेदार को टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर पीड़ित के बारे में कोविड संक्रमण का मामला साबित करना होगा या उसके पास भरोसा करने के लिए कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।

23. इसलिए, इस वाद में कोई गुण-दोष नहीं मिला।

24. रिट याचिका खारिज की जाती है और दाखिल-दफ्तर की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद)

(न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार)

11 मार्च 2026

आत्मेश